झारखण्ड सरकार
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

पत्रांक–खा०प्र० 01/अ०दा०भा०के०/14–04/2020 840

प्रेषक,

अरूण कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड, राँची।

/राँची, दिनांक – 29/03/20

विषय :– **COVID-19 के कारण पूरे राज्य में लॉक डाउन के मद्देनजर दो माह हेतु थाना स्तर पर अतिरिक्त दाल–भात केन्द्र खोलकर फसे हुए, बेघर एवं खाना बनाने में असमर्थ लोगों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराने एवं रूपये 2,99,14,740 (दो करोड़ निनानवे लाख चौदह हजार सात सौ चालीस) के व्यय की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

कोरोना COVID-19 के कारण पूरे राज्य में लॉक डाउन है। इस कारण फँसे हुए, बेघर एवं खाना बनाने में असमर्थ लोगों की जरूरत को देखते हुए राज्य भर के सभी जिलों में दो माह (माह अप्रैल एवं मई 2020 तक) के लिए थाना स्तर पर अतिरिक्त दाल–भात केन्द्र खोले जाने का निर्णय लिया गया है। इन खिचड़ी केन्द्रों में 200 व्यक्तियों को प्रतिदिन निःशुल्क भोजन कराया जाना है।

2. राज्य भर के सभी 24 जिलों के थाना स्तर पर खोले जाने वाले अतिरिक्त दाल–भात केन्द्र की संख्या एवं संभावित व्यय की विवरणी निम्नवत् है :–

क्र० सं०	जिला का नाम	अतिरिक्त दाल–भात केन्द्र की संख्या	प्रति अतिरिक्त दाल–भात केन्द्र को दस हजार रूपये की दर से एकमुश्त देय राशि	जिलावार संभावित व्यय
1	पलामू	28	280000	2449160
2	गढ़वा	5	50000	437350
3	लातेहार	12	120000	1049640
4	पश्चिमी सिंहभूम	19	190000	1661930
5	सरायकेला–खरसावाँ	17	170000	1486990
6	पूर्वी सिंहभूम	35	350000	3061450
7	पाकुड़	7	70000	612290
8	दुमका	15	150000	1312050
9	देवघर	18	180000	1574460
10	जामताड़ा	3	30000	262410
11	गोड्डा	15	150000	1312050
12	साहेबगंज	2	20000	174940
13	राँची	18	180000	1574460
14	लोहरदगा	4	40000	349880
15	खूँटी	15	150000	1312050

Scanned with CamScanner

16	सिमडेगा	15	150000	1312050
17	गुमला	18	180000	1574460
18	धनबाद	35	350000	3061450
19	बोकारो	9	90000	787230
20	हजारीबाग	25	250000	2186750
21	चतरा	4	40000	349880
22	कोडरमा	6	60000	524820
23	रामगढ़	5	50000	437350
24	गिरिडीह	12	120000	1049640
	कुल	**342**	**3420000**	**29914740**

3. उपरोक्त के क्रम में जिले के संबंधित थानों को जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा चावल तथा दाल का क्रय कर उपलब्ध कराया जायेगा। प्रत्येक दाल–भात केन्द्र को रूपये 10,000/– (दस हजार) रूपये मात्र की अतिरिक्त एकमुश्त राशि, ईंधन, मसाला, सब्जी आदि के लिए उपलब्ध करायी जायेगी।

4 अतिरिक्त दाल–भात केन्द्रों के लिए प्रतिदिन 200 लाभुकों हेतु 200 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से संबंधित थानों को चावल एवं प्रति दिन 5 किलोग्राम दाल मुफ्त में आपूर्ति की जायेगी। इसके अतिरिक्त आलू, सब्जी, ईंधन, तेल, नमक इत्यादि वस्तुओं की व्यवस्था अतिरिक्त दाल–भात केन्द्रों द्वारा स्वयं की जायेगी।

5 चावल एवं दाल का क्रय जिला आपूर्ति पदाधिकरी द्वारा यथासंभव बाजार समिति की दर के अंतर्गत किया जायेगा।

6 अतिरिक्त दाल–भात केन्द्रों के अन्तर्गत जिले को निर्गत की जाने वाली राशि सीधे संबंधित जिला आपूर्ति पदाधिकारी को आवंटित की जायेगी जिसके नियंत्री पदाधिकारी संबंधित उपायुक्त होंगे, जो यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना का लाभ उपयुक्त व्यक्तियों को मिले।

7 अतिरिक्त दाल–भात केन्द्रों को योजनान्तर्गत प्राप्त होने वाले सामग्रियों की आवंटन पंजी संधारित की जायेगी एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र उपायुक्त के हस्ताक्षर से विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा। अतिरिक्त दाल–भात केन्द्रों पर लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों का व्योरा भी संधारित किया जायेगा एवं वांछित प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

8 योजना के अंतर्गत स्थापित सभी अतिरिक्त दाल–भात केन्द्रों को नियमित एवं सुचारू रूप से चलाने एवं निर्धारित संख्या में उपयुक्त व्यक्तियों को एक समय का निःशुल्क खाना प्रत्येक दिन उपलब्ध कराना पुलिस अधीक्षक के द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

9 स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला आपूर्ति पदाधिकारी होंगे जो विभाग द्वारा आवंटित राशि की निकासी संबंधित कोषागार से करेंगे एवं संबंधित विपत्रों का भुगतान सुनिश्चित करते हुए व्यय का विवरण विभाग को प्रेषित करेंगे।

10 इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी विभागीय अपर मुख्य सचिव होंगे।

11 उक्त अतिरिक्त केन्द्रों के संचालन पर कुल 2,99,14,740 **(दो करोड़ निनानवे लाख चौदह हजार सात सौ चालीस)** का व्यय संभावित है जिसकी निकासी बजट शीर्ष 3456–सिविल पूर्ति/उपशीर्ष–23–मुख्यमंत्री दाल भात योजनांतर्गत से वित्तीय वर्ष 2020–21 में बजटीय उपबंध से की जायेगी।

Scanned with CamScanner

12 तत्कालिक व्यवस्था के लिए संकल्प संख्या 7188, दिनांक 27.11.2015 के प्रावधान उक्त हद तक संशोधित समझे जायेंगे।

13 प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

29.3.20

(अरुण कुमार सिंह),
अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक – –खा०प्र० 01/अ०दा०भा०के०/14–04/2020 840 /राँची, दिनांक– 29/03/20

प्रतिलिपि :– महानिदेशक एवं पूलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, झारखण्ड/सभी आरक्षी अधीक्षक, झारखण्ड/निदेशक, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय झारखण्ड/सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, झारखण्ड विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, राँची, जमशेदपुर एवं धनबाद/सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी, झारखण्ड/अवर सचिव, प्रशाखा–3 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29.3.20

अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक – –खा०प्र० 01/अ०दा०भा०के०/14–04/2020 840 /राँची, दिनांक– 29/03/20

प्रतिलिपि :– प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि उपरोक्त सारणी के आलोक में सभी जिलों को 50 प्रतिशत की राशि अग्रिम के रूप में उपलब्ध करायी जाय जिसकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2020–21 में विभाग द्वारा कर दी जायगी।

29.3.20

अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक – –खा०प्र० 01/अ०दा०भा०के०/14–04/2020 840 /राँची, दिनांक– 29/03/20

प्रतिलिपि :– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29.3.20

अपर मुख्य सचिव।

Scanned with CamScanner